उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1821/ग्यारह-9(104)/15-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(148)-2015

लखनऊ: दिनांक: 14 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शकित का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-दो में, भाग-ख में, क्रम संख्या 28 की प्रविषिट में, अद्र्धविराम और शब्द '' ; रुपये दस हजार से अनधिक खुदरा मूल्य तक के सेलफोन के साथ पैक्ड एसेसरीज ' अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

हरेन्द्र वीर सिंह

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।